जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ/एल.पी.सी./17/डी– 600 दिनांकः– 4.8.17

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 136वीं बैठक दिनांकः 28.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में "चिन्तन सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		136:1	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 135वीं बैठक दिनांक 06.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं बैठक 118वीं से 135वीं की पालना रिपोर्ट की समीक्षा बाबत।	भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 135वीं बैठक दिनांक 06.07.17 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। बैठक संख्या 118 से 135 की पालना की समीक्षा की गई। आयुक्त महोदय द्वारा अवशेष अनुपालना रिपोर्ट पर असंतोष जाहिर करते हुये त्वरित पालना करने के निर्देश दिये गये।
2.	11	136:2	श्रीमती सरिता कँवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह गोपलान को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/ बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 180–सी का आवंटित क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती सरिता कँवर पत्नी श्री राजेन्द्र सिंह गोपलान को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया/बगरूखुर्द के आवासीय भूखण्ड संख्या 180–सी क्षेत्रफल 150 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 30 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 180–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा आवेदक को नकद भुगतान की जाने वाली राशि 175910/– का समायोजन भी किया जावे।
3.	11	136:3	लाहोटी बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री आशीष प्रकाश लाहोटी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 739–सी का आवंटित क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा लाहोटी बिल्डकॉन लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री आशीष प्रकाश लाहोटी को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के आवासीय भूखण्ड संख्या 739–सी क्षेत्रफल 375 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 175 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 739–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 175 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अतिरिक्त आयुक्त (भूमि एवं सम्पत्ति)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	11	136:4	श्री मोतीराम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 635–सी का आवंटित क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 13 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री मोतीराम को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 635–सी क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 13 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 635–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 13 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
5.	11	136:5	श्रीमती शैफाली सक्सैना को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1044–सी का आवंटित क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 31.87 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती शैफाली सक्सैना को सेज पुनर्वास योजना ग्राम पालडी परसा के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 1044–सी क्षेत्रफल 45 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 31.87 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 1044–सी में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 31.87 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
6.	11	136:6	श्री गोपाल शंकरलाल करवा एवं श्रीमती भावना गोपा करवा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 249 का आवंटित क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 47.5 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्री गोपाल शंकरलाल करवा एवं श्रीमती भावना गोपा करवा को सेज पुनर्वास योजना ग्राम नृसिंहपुरा दादिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 249 क्षेत्रफल 1250 वर्गमीटर (कॉर्नर) का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुरार उक्त भूखण्ड में 47.5 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या 249 में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 47.5 वर्गमीटर योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
7.	11	136:7	मैसर्स जी.वी. डवलपर्स प्रा.लि. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम ठाई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या जी.वी.(सी) का आवंटित क्षेत्रफल 13102 वर्गमीटर का	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मैसर्स जी.वी. डवलपर्स प्रा.लि. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम ठाई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या जी.वी.(सी) क्षेत्रफल 13102 (कॉर्नर) वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 447.54 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ

			मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 447.54 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 में सेज योजना के कॉर्नर भूखण्डों में बढा हुआ क्षेत्रफल होने पर आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने हेतु प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर एम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 03.10.13 व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 04.10.13 के क्रम में भूखण्ड संख्या जी.वी.(सी.) में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 447.54 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
8.	11	136:8	मैसर्स चौखी ढाणी डवलपर्स प्रा.लि. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी.डी.(सी) का आवंटित क्षेत्रफल 11308 वर्गमीटर का मौका रिपोर्ट अनुसार क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण बढ़े हुए क्षेत्रफल 1202.91 वर्गमीटर के आवंटन बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा मैसर्स चौखी ढाणी डवलपर्स प्रा. लि. को सेज पुनर्वास योजना ग्राम झांई के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या सी.डी.(सी) क्षेत्रफल 11308 वर्गमीटर का आवंटन किया गया था। उपायुक्त की रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूखण्ड में 1202.91 वर्गमीटर क्षेत्रफल मौके पर बढ गया है। जिसका स्वतंत्र भूखण्ड सृजित नहीं हो सकता है। उपायुक्त द्वारा बढे हुये क्षेत्रफल के आवंटन हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सेज पुनर्वास योजना के नॉन कॉर्नर भूखण्डों में बढ़े हुये क्षेत्रफल के आवंटन के संबंध में कोई निर्देश नहीं है। अतः नॉन कॉर्नर भूखण्डों में भी कॉर्नर भूखण्डों की भांति कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुये समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या सी.डी.(सी.) में बढ़ा हुआ क्षेत्रफल 1202.91 वर्गमीटर योजना की वर्तमान व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
9.	11	136:9	श्रीमती सूजा देवी पत्नी श्री रामलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 214–सी का आवंटित क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर (कॉर्नर) का मौका रिपोर्ट अनुसार 46.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम होने के कारण न्यूनतम क्षेत्रफल 50 वर्गमीटर का भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–11 द्वारा श्रीमती सूजा देवी पत्नी श्री रामलाल को सेज पुनर्वास योजना ग्राम भम्भोरिया के आवासीय भूखण्ड संख्या 214–सी क्षेत्रफल 600 वर्गमीटर (कॉर्नर) का भूखण्ड आवंटित किया गया था। उक्त भूखण्ड की मौका रिपोर्ट अनुसार 46.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल कम उपलब्ध हो रहा है। उक्त योजना में 46.50 वर्गमीटर का कोई भूखण्ड सृजित नहीं है। उपायुक्त द्वारा न्यूनतम सृजित भूखण्ड 50 वर्गमीटर का आवंटन करने व 3.50 वर्गमीटर भूमि जविप्रा की कीमतन शामिल करते हुये 50 वर्गमीटर का भूखण्ड आवटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 214–सी में कम रहे क्षेत्रफल 46.50 वर्गमीटर का समायोजन करते हुये योजना में उपलब्ध नॉन कॉर्नर भूखण्डों में से एक नॉन कॉर्नर 50 वर्गमीटर का भूखण्ड लॉटरी द्वारा आवंटन करने का निर्णय लिया गया। उपायुक्त द्वारा अधिक भूमि 3.50 वर्गमीटर की राशि योजना की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से वसूल की जावे।
10.	12	136:10	वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार को जयपुर में राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान की स्थापना हेतु भूमि आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग, भारत सरकार को जयपुर में राष्ट्रीय डिजाईन संस्थान की स्थापना हेतु दहमीकलां संस्थानिक क्षेत्र के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 120062.57 वर्गमीटर (30 एकड) भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय को जविप्रा की योजना दहमीकलां संस्थानिक योजना के भूखण्ड संख्या 1 क्षेत्रफल 120062.57 वर्गमीटर भूमि योजना की वर्तमान संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन करने की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार के

				आदेश क्रमांक प–3(268)नविवि / 3 / 2011 दिनांक 03.07.12 के अनुसार केन्द्र सरकार के संगठनों को आवंटित की जाने वाली भूमि की दरों के निर्धारण हेतु प्रकरण संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी को दर निर्धारण हेतु मय चैक लिस्ट प्रस्ताव भिजवाने का निर्णय लिया गया।
11.	12	136:11	कुमारी पूजा पुत्री श्री लल्लू लाल को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 325 का मौके पर क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी से एल.आई.जी. श्रेणी का होने से बढे हुये क्षेत्रफल की राशि ली जाकर भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–12 द्वारा एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि कुमारी पूजा पुत्री श्री लल्लू लाल को निजी खातेदारी की आवासीय योजना ग्रीन त्रिवेणी में ई.डब्ल्यू.एस. भूखण्ड संख्या 325 क्षेत्रफल 36.22 का आवंटन किया गया था। भूखण्ड का मौके पर 12.08 वर्गमीटर क्षेत्रफल बढ़कर 48.30 वर्गमीटर हो जाने से उक्त भूखण्ड ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के स्थान पर एल.आई.जी. श्रेणी का हो गया। उपायुक्त द्वारा बढ़े हुये क्षेत्रफल को ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की आवासीय आरक्षित दर ली जाकर आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर भूखण्ड संख्या 325 में बढ़े हुये क्षेत्रफल 12.08 में से 8.78 वर्गमीटर ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर से एवं शेष 3.30 वर्गमीटर भूमि एल.आई.जी. श्रेणी की वर्तमान आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया।
12.	12	136:12	साहित्य सदावर्त समिति, जयपुर को पूर्व में ग्राम राजावास तहसील आमेर में विश्वविद्यालय हेतु आवंटित भूमि मौके पर कम होने से 1.58 हैक्टेयर भूमि आवंटन किये जाने बाबत।	एलपीसी की 122वीं बैठक दिनांक 08.02.16 में साहित्य सदावर्त समिति, जयपुर को ग्राम राजावास तहसील आमेर के खसरा नं. 251 रकबा 0.12 हैक्टेयर, 254 रकबा 1.05 है., 255 रकबा 2.94 है., 256 रकबा 1.14 है., 257 रकबा 0.64 है., 258 रकबा 1.55 है., 259 रकबा 1.43 है., 260 रकबा 1.60 है., 261 रकबा 0.59 है. व 266 रकबा 1.20 है. कुल 12.26 हैक्टेयर में से खसरा नं. 255, 258, 259, 266 में से एक्जिस्टिंग रोड का 0.12 हैक्टेयर रकबा कम करते हुये 12.14 हैक्टेयर अथार्त 30 एकड भूमि आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–12 द्वारा पुनः एजेण्डा नोट प्रस्तुत कर अवगत कराया है कि राजस्व नक्शे में व मौके पर उक्त खसरा नं. का रकबा 11.61 हैक्टेयर ही है। साथ ही सड़क का क्षेत्रफल बढ़ने से मौके पर भूमि कम उपलब्ध होना बताया है। अतः मौके पर कम रही भूमि 0.65 हैक्टेयर भूमि व सडक की भूमि मिला कर कुल 1.58 हैक्टेयर भूमि संस्था को ओर देय होना बताया है। उपायुक्त द्वारा खसरा नं. 266 (मिन) रकबा 0.61 हैक्टेयर (0.41 हैक्टेयर रकबा बरारी के अनुसार) व खसरा नं. 618 रकबा 3.45 हैक्टेयर में से 1.58 हैक्टेयर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि मास्टर प्लान–2025 में प्रस्तावित भूमि में से 30 मीटर रोड़ निकालने के कारण 9304 वर्गमीटर भूमि रोड में जाने से आवेदक संस्था को कम भूमि मिलना बताया गया है। जबकि पूर्व में आयोजित एलपीसी की 122वीं बैठक में उपायुक्त द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा में 0.12 हैक्टेयर भूमि रोड में जाना बताया गया था। इसी आधार पर निर्णय लिया गया था। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण का उपायुक्त स्तर पर पूर्ण रूपेण विस्तृत परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जावे कि रोड में किस खसरा नं. का कितना क्षेत्रफल जा रहा है तथा संस्था को अब दिया जाने वाले कुल क्षेत्रफल में से किस खसरा नम्बर में से कितना दिया जाना प्रस्तावित है ?

13.	9	136:13	जन कल्याण संस्थान, जयपुर को सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु रामचन्द्रपुरा में भूखण्ड आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन–9 द्वारा जन कल्याण संस्थान को सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु जविप्रा की संस्थानिक योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 11 क्षेत्रफल 3678.24 वर्गमीटर का आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। एलपीसी की 134वीं बैठक दिनांक 31.05.17 में लिये गये निर्णय के क्रम में संस्था द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये हैं। संस्था ने रियायती दर पर भूमि आवंटन चाहा है। संस्था द्वारा जिस प्रयोजनार्थ भूमि चाही गई है, वह नगरीय विकास विभाग की आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 2 में वर्णित सार्वजनिक, सामाजिक, धार्मिक, चैरिटेबल संस्थाओं/ट्रस्ट को भूमि आवंटन के उद्देश्यों में कवर नहीं होता है। संस्था ने सामाजिक सांस्कृतिक शोध कार्य हेतु भूमि आवंटन रियायती दर पर चाहा है। आवंटन नीति–2015 के बिन्दु संख्या 8, 8.3 व 8.5 के अनुसार उक्त प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन का निर्णय अतिरिक्त मुख्य सचिव, नाविवि की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा लिया जाने का प्रावधान है। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रकरण को राज्य सरकार को निर्णयार्थ प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक में प्रस्तुत निम्नांकित टेबल एजेण्डा पर निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

14.	10	136:13(1)	रिंग रोड टोल प्लाजा से प्रभावित भूखण्डों के बदले विनिमय में आवंटित भूखण्डों के स्थान पर रामनारायण एवं कन्हैया लाल को अन्य भूखण्ड दिये जाने बाबत।	उपायुक्त जोन–10 द्वारा रिंग रोड टोल प्लाजा में रामनारायण एवं कन्हैया लाल पुत्र स्व. भगवान सहाय मीणा के प्रभावित भूखण्डों के बदले तीन बार विनिमय हेतु भूखण्ड प्रस्तावित करने पर प्रार्थी द्वारा चतुर्थ बार विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जिसे अस्वीकार कर तृतीय बार किया गया विनिमय को यथावत रखने व इस विनिमय में बढे हुये क्षेत्रफल 306.28 वर्गमीटर भूमि की राशि लिये जाने व जेडीए द्वारा दीवार बनाने पर हुआ व्यय 577220/– रूपये प्रार्थी से लिये जाने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। चूंकि तृतीय विनिमय के समय प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाकर भविष्य में अन्य भूखण्ड की मांग नहीं किये जाने का अनुरोध किया गया था। अतः समिति द्वारा विचार विमर्श कर प्रार्थी के विनिमय हेतु नवीन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर उपायुक्त के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
15.	9	136:13(2)	**सीपेट हाई लर्निंग सेन्टर को जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 11521 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने बाबत।**	उपायुक्त जोन–9 द्वारा सीपेट हाई लर्निंग सेन्टर को जविप्रा की योजना रामचन्द्रपुरा के भूखण्ड संख्या 24 क्षेत्रफल 11521 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने हेतु एजेण्डा नोट प्रस्तुत किया है। सीपेट हाई लर्निंग सेन्टर हेतु पूर्व में राज्य सरकार की स्वीकृति से उक्त योजना के भूखण्ड संख्या 16 से 23 क्षेत्रफल 20035.31 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन की जा चुकी है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड संख्या 24 आवंटन नहीं करने का निर्णय लिया गया।
16.	12	136:13(3)	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 451, 452 एवं 417 में से 1000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये संशोधित आवंटन करने बाबत।	एलपीसी की 130वीं बैठक दिनांक 12.01.17 में जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. को ग्राम दहमीकलां तहसील सांगानेर में जविप्रा स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 451, 452 एवं 417 में से 2000 वर्गमीटर भूमि 33/11 केवी सब स्टेशन के लिये संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत पर आवंटन करने का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त द्वारा जेवीवीएनएल को आवंटन सह मांग पत्र जारी किया गया है, जिसके क्रम में जेवीवीएनएल द्वारा 1000 वर्गमीटर निःशुल्क भूमि आवंटन का अनुरोध किया है। समिति द्वारा

				विचार विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि चूंकि जविप्रा निःशुल्क आवंटन हेतु सक्षम नहीं है, अतः पूर्व में लिये गये निर्णय में संशोधन कर 2000 वर्गमीटर के स्थान पर 1000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर + 15 प्रतिशत (शहरी निकाय को देय राशि) पर आवंटन की जावे।

बैठक सधन्यवाद् समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त/अभियांत्रिकी-द्वितीय/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि/प्रशासन), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. विशेषाधिकारी (आर. एण्ड एम.), जविप्रा, जयपुर
15. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
16. उपायुक्त जोन-1 से 14 व पीआरएन (उत्तर-I/II व दक्षिण-I/II), जविप्रा, जयपुर।
17. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को कार्यवाही विवरण स्केन करने के लिये।
18. विशेषाधिकारी, जन सम्पर्क, जविप्रा, जयपुर
19. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 136वीं बैठक दिनांक 28.07.2017 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री वैभव गालरिया, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्री ललित शर्मा, निदेशक (अभियांत्रिकी–द्वितीय)	सदस्य
3.	श्रीमती लवंग शर्मा, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
4.	श्री बृजेश किशोर शर्मा, कार्यवाहक निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री ओ.पी. बुनकर, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्री राधे प्रताप सिंह, उपायुक्त जोन–5	विशेष आमंत्रित
7.	श्री अशोक कुमार चौधरी, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
8.	श्री मधुसूदन पालीवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
9.	श्री रामनारायण बडगुर्जर, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
10.	श्री देवेन्द्र कुमार जैन, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
11.	श्री राजकुमार सिंह, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
13.	श्रीमती उषा जैन, सलाहकार (जन सम्पर्क)	विशेष आमंत्रित